से आशा की जाती है कि वे चरणबद्ध ढंग से 1990 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की कुल आवश्यकता के शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे ।

अस्पताल के स्टाफ को विशेष भत्ते/सुविधाएं

2930. **श्री रामसिंह भाई पातलोया-भाई राठवा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों में नर्सों, डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों को अर्हता भत्ता, विशेष वेतन, अतिरिक्त भत्ता और अन्य सुविधाएं देने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसे किस तारीख से लागू किया गया है या लागू किया जाएगा और उसे किस अवधि से लागू माना जाएगा ; और

(घ) इस निर्णय को लागू करने में सरकार को प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे): (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों आदि में कार्य कर रहे नर्सिंग कार्मिकों को 1-10-1986 से भत्तों में प्रतिमाह 300/- रुपये की वृद्धि की गई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :-

(i) धुलाई भत्ता 25/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 75/- रु० प्रति माह कर दिया गया है ।

(ii) वर्दी भत्ता 300/-रुपये से बढ़ाकर 1500/- रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया ।

(iii) नर्सों के कार्य को ध्यान में रखते हुये उन्हें 150/- रुपये प्रति माह की दर से एक नया भत्ता अर्थात् नर्सिंग भत्ता दिया गया है ।

(iv) अनुमोदित अर्हताओं के लिए नर्सों को दो वेतनवृद्धियां (नान एबेल-एबल) देने की बात सिद्धान्ततः मान ली गई है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के परामर्श से इसकी माडेलिटीज तैयार की जा रही है ।

(v) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसरण में कुछक विशेष क्षेत्रों में कार्य कर रही नर्सों के विशेष वेतन दर को दोगुना करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन क्षेत्रों का जहां यह लाभ दिया जा सकता है, पता लगाने के लिए गठित की गई समिति की रिपोर्ट पर अलग से विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवाओं के डाक्टरों को हाल ही में किए गए भत्तों के पेकेज में प्रैक्टिस बंदी भत्ता 150/- रुपये से बढ़ाकर 600/- रुपये और 600/- रुपये से बढ़ाकर 900/- रुपये कर दिया गया है । वाहन भत्ते की दर में वृद्धि की गई है और यह विशेषज्ञों तथा अस्पतालों में सामान्य ड्यूटी अधिकारियों को भी दिया गया है । विशेषज्ञों के लिए व्यावसायिक कार्यों के संबंध में 3,000 रुपये प्रतिवर्ष का एक वार्षिक भत्ता भी स्वीकार किया गया है । सामान्य ड्यूटी आधिकारियों के लिए यह भत्ता 1200/- रुपये प्रतिमाह होगा ।

Implementation of the recommendation of medical education review committee

2931. SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the Medical Education Review Committee's recommendations

regarding Medical Education in the country have since been examined by Government;

(b) if not, the reasons for delay; and

(c) the time by when the recommendations are likely to be considered and decision taken by Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Government have already taken certain decisions on the report of the Medical Education Review Committee. A statement in this respect was placed before the Parliament on 2nd May, 1986.

Appointment of Labour Welfare Officers in D.T.C.

2932. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Delhi Transport Corporation has appointed Labour Officers in the recent past; and

(b) if so, whether the selected candidates fulfilled the required qualification, experience, etc. and if not, the reasons?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. Both the candidates fulfilled the relaxed requirements.

Labour Inspector/Labour Welfare Officers in D.T.C.

2933. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the basis of the report of the High Level Committee, Labour Inspectors and Labour Welfare Officers were appointed by the Delhi Transport Corporation;

(b) whether it is a fact that Labour Welfare Officers were confirmed and promoted;

(c) whether it is also a fact that the Labour Welfare Inspectors were appointed on ad-hoc basis and not confirmed despite putting in more than three years service; and

(d) if so, the reasons for not confirming/regularising the Labour Welfare Inspectors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) 12 Labour Welfare Inspectors only have been appointed against temporary posts. Employees are considered for confirmation after successful completion of probation, subject to availability of regular vacancies.

National awards for class room teachers

2934. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Awards for teachers are meant essentially for actual class room teachers;